

न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग 2 बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी – सिराज अली)

व्यवहार वाद क्रं0-17ए/2013

संस्थापन दिनांक-15.03.2013

- 1— श्रीमति सरिता वरकड़े, पति भुवनसिंह(भवनसिंह),
 उम्र 32 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-तिरगांव, हा.मु. बार्ड नं. 2 भटेरा चौकी,
 तहसील बालाघाट जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----वादी

विरुद्ध

- 1— भुवनसिंह (भवनसिंह) पिता सुखलाल वरकड़े, उम्र 37 वर्ष जाति गोंड,
 निवासी तिरगांव, तहसील बैहर जिला-बालाघाट (म.प्र.)
 2— रामलाल पिता सुखलाल वरकड़े, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी तिरगांव, तहसील बैहर जिला-बालाघाट (म.प्र.)
 3— मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
 बालाघाट, जिला बालाघाट(म.प्र.)

-----प्रतिवादीगण

वादी द्वारा श्री समीर कुरैशी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा श्री बी.एल.राणा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रं. 2 व 3 पूर्व से एकपक्षीय।

निर्णय

आज दिनांक-26/06/2014 को घोषित

- 1— वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा मौजा तुमडीभाट, प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. बैहर, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 32/2 रकबा, 7.00 एकड़ भूमि (जिसे आगे 'विवादित भूमि' से सम्बोधित किया जावेगा) को बिक्री कर पंजीयन करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 वादी का पति है तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 वादी का जेठ है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 पर विवादित भूमि दर्ज है। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध विविध दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-34/04 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट के द्वारा

आदेश दिनांक-24.03.2005 के अनुसार भरण-पोषण राशि 500/-रूपये प्रतिमाह अदायगी का आदेश दिया गया है।

3- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि भरण-पोषण राशि वसूली के प्रकरण में न्यायालय द्वारा वसूली की कार्यवाही प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध की जा रही है जिसमें उसकी सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु कुर्की तथा लेव्ही वारंट जारी किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने न्यायालय में वादी को उक्त राशि की अदायगी नहीं की है और प्रतिवादी क्रमांक-2 के साथ शामिल शरीक विवादित सम्पत्ति को विक्रय करने हेतु निकाल दिया है ताकि वादी को भरण-पोषण की राशि अदायगी के लिए उसकी भूमि को कुर्क न किया जा सके। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने मौखिक रूप से वादी से कहा है कि उसे भरण-पोषण राशि की अदायगी नहीं करेंगे और उनके नाम की सम्पत्ति कुर्क होने के पहले ही विक्रय कर देंगे। यदि प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम पर कोई सम्पत्ति शेष नहीं रही तो वादी भरण-पोषण राशि की वसूली नहीं कर पायेगी। अतएव प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के नाम पर दर्ज विवादित सम्पत्ति को विक्रय करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

4- प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन को इन्कार करते हुए जवाबदावा में अभिवचन किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को विरासत हक में प्राप्त हुई है जिसका विभाजन उनके मध्य नहीं हुआ है। वादी स्वेच्छया से प्रतिवादी क्रमांक-1 से अलग रहकर जीवन यापन कर रही है। न्यायालय के आदेश के पालन में प्रतिवादी क्रमांक-1 भरण-पोषण राशि अदा करने हेतु तत्पर रहा है, किन्तु बीमार रहने के कारण वह आर्थिक बोझ बढ़ने से वह भरण-पोषण राशि अदा नहीं कर पाया है। प्रतिवादी के द्वारा विवादित भूमि को विक्रय नहीं किया जा रहा है। अतएव वादिनी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5- प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 ने प्रकरण में जवाबदावा पेश नहीं किया है तथा प्रकरण में एकपक्षीय है।

6- उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित किये गये हैं :-

क्रं.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1—	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 मौजा तुमडीभाट, प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. बैहर स्थित खसरा नं. 32/2 रकबा 7.00 एकड़ भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है?	'प्रमाणित नहीं'
2—	क्या वादिनी, प्रतिवादी क्रमांक-1 से भरण-पोषण राशि वसूली हेतु उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पाने की हकदार है?	'प्रमाणित नहीं'
3—	क्या सहायता एवं व्यय?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—: सकारण निष्कर्ष :—

वाद प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण :—

7— यह साबित करने का भार वादी पर है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। वादी सरिता (वा.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं। साक्षी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि से संबंधित संशोधन पंजी क्रमांक-3, दिनांक-27.03.89 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-1, नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-3, पांच साला खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 पेश की है। उक्त दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व की है। भरण-पोषण राशि वसूली प्रकरण के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध भरण-पोषण राशि वसूली हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट के समक्ष कार्यवाही की जा रही है। उक्त आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 की चल व अचल सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु वारंट जारी कर राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

8— सरिता (वा.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसे पटवारी ने विवादित भूमि को विक्रय करने की जानकारी दी थी। यद्यपि इस साक्षी ने कथित सम्पत्ति को खरीदने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया और न ही साक्ष्य में यह बताया

है कि प्रतिवादीगण के द्वारा तथाकथित विक्रय का सौदा किस व्यक्ति से किया गया। वादी ने सम्पत्ति विक्रय करने की जानकारी होने के संबंध में भी विश्वसनीय कथन नहीं किया है।

9— वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी नन्हूसिंह (वा.सा.2) एवं पिलमसिंह (वा.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में वादी का समर्थन करते हुए कथन किये हैं। नन्हूसिंह (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा भूमि विक्रय करने की बात उसे एक साल पहले मालूम हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि एक साल गुजरने के बाद भी प्रतिवादी क्रमांक-1 ने भूमि का विक्रय नहीं किया है तथा वह अब भी विक्रय नहीं करेगा। पिलमसिंह (वा.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसे 6 माह पूर्व यह पता चला था कि प्रतिवादी क्रमांक-1 भूमि विक्रय करने वाला है साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि 6 माह बाद भी भूमि का विक्रय नहीं किया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि भूमि का विक्रय करने के प्रयत्न में है वह कभी भी विक्रय कर देगा। उक्त दोनों साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अपनी भूमि को किसे विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है और न ही कथित विक्रय का किसी व्यक्ति से कोई सौदा होने की जानकारी प्रकट की है। इस प्रकार विवादित भूमि को तथाकथित विक्रय करने के संबंध में वादी साक्षीगण ने बिना किसी आधार के काल्पनिक रूप से कथन किया जाना प्रकट होता है।

10— प्रतिवादी भुवनसिंह (प्र.सा.1) ने अपने जवाबदावा के अनुरूप मुख्य परीक्षण में अभिवचन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सरिता बाई उसकी पत्नि है जो उससे अलग रह रही है और उसने आज तक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में भरण-पोषण राशि अदा नहीं की गई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि न्यायालय द्वारा उसकी सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी हुए हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि कुर्की के वारंट के आदेश जारी होने के बाद भी भूमि को विक्रय करने के लिए निकाल दिया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि भरण-पोषण राशि वसूली में उसकी सम्पत्ति कुर्क न हो जाये इस कारण वह भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार साक्षी ने

स्पष्ट रूप से अपनी सम्पत्ति को विक्रय किये जाने से इंकार किया है। वादी पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस बाबत चुनौती नहीं दी गई है कि प्रतिवादी के द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति से कोई विक्रय का सौदा किया गया है या विक्रय का प्रयास किया जा रहा है।

11— प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने मात्र अनुमान एवं काल्पनिक आधार पर प्रतिवादीगण के द्वारा कथित सम्पत्ति विक्रय का आक्षेप लगाते हुए यह वाद पेश किया है। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह अधिसंभावना प्रकट नहीं होती है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि को विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार वादी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि को भरण-पोषण राशि की वसूली से बचने के कारण विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव वाद प्रश्न क्रमांक-1 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण :-

12— वादी ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा भरण-पोषण राशि वसूली से बचने हेतु अपनी सम्पत्ति का विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध भरण पोषण राशि की वसूली के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट के न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर किया गया है जिसमें न्यायालय के द्वारा भरण-पोषण राशि वसूली की कार्यवाही लंबित है। इस प्रकार वादी को उक्त फोरम व सक्षम न्यायालय से भरण-पोषण राशि वसूली की सम्पूर्ण कार्यवाही किये जाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। भरण-पोषण राशि वसूली न होने की दशा में उक्त न्यायालय से प्रतिवादी क्रमांक-1 को लेखी व वसूली वारंट के माध्यम से गिरफ्तार कर जेल भिजवाकर, उसकी चल व अचल सम्पत्ति को कुर्क करवाकर राशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

13— विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा-41(एच) के प्रावधान अंतर्गत वहाँ व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, जबकि समानतः प्रभावकारी अनुतोष, कार्यवाही के

किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो। मामले में भरण-पोषण राशि की वसूली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट के समक्ष लंबित है, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध राशि वसूली की कार्यवाही लंबित है। उक्त न्यायालय से प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध वादी को प्रभावकारी कार्यवाही के माध्यम से निश्चित रूप से अनुतोष प्राप्त हो सकता है तब सिविल न्यायालय के समक्ष व्यादेश के अनुतोष हेतु वादी को वाद कारण प्राप्त नहीं होता है।

14— स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। स्थायी निषेधाज्ञा पर विचार किये जाते समय अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विचार में लिया जाना चाहिये। यह उल्लेखनीय है कि मात्र भरण-पोषण राशि के भार के दायित्व के अधीन प्रतिवादी क्रमांक-1 को उसकी सम्पत्ति को अंतरण करने हेतु शाश्वत काल के लिए निषेधित किये जाने पर तुलनात्मक रूप से प्रतिवादी क्रमांक-1 को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और प्रतिवादी पक्ष को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रकट होती है।

वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण होना प्रकट नहीं होता है। वर्तमान में भरण-पोषण राशि वसूली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में लंबित है, जिसमें वादी को प्रभावकारी अनुतोष प्राप्त होने की संभावना है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला भी नहीं बनता है और अन्य प्रभावकारी कार्यवाही के माध्यम से अनुतोष प्राप्त होने की प्रबल संभावना होने से तुलनात्मक रूप से वादी को असुविधा होना प्रकट नहीं होता है, साथ ही भरण-पोषण की राशि वसूली का मौद्रिक अनुतोष, धन के रूप में वादी को प्राप्त हो सकता है, जिसे अपूर्णीय क्षति के रूप में नहीं माना जा सकता। इस प्रकार वादी को उपरोक्त सभी कारण से प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध सम्पत्ति अंतरण से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतएव वाद प्रश्न क्रमांक-2 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय :-

15— वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादी का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज़प्ति पारित की जाती है :-

1— वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

2— उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज़प्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2, बैहर